

आरबीआई: डजिटल ऋण हेतु नयिम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रजिस्टर बैंक \(RBI\)](#) ने [डजिटल ऋण देने के लिये वसित्तु दशा-नरिदेश](#) जारी किये हैं। जिसके अनुसार, डजिटल ऋण सीधे उधारकर्त्ताओं के बैंक खातों में जमा किया जाना चाहिये, न ककिसी तीसरे पक्ष के माध्यम से।

- यह कुछ व्यक्तियों/समूहों द्वारा अवैध गतविधियों पर नकेल कसने के लिये डजिटल ऋण देने के लिये दशानरिदेशों का पहला सेट है। यह डजिटल लेंडिंग पर एक वर्कगि गुरुप (WGDL) की सफारिश का अनुसरण करता है जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

डजिटल लेंडिंग क्या है?

डजिटल लेंडिंग के बारे में:

- इसमें प्रमाणीकरण और क्रेडिट मूल्यांकन के लिये प्रोद्योगिकी का लाभ उठाकर वेब प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देना शामिल है।
- बैंकों ने पारंपरिक ऋण में मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठाकर डजिटल ऋण बाजार में टैप करने के लिये अपने स्वयं के स्वतंत्र डजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म लॉन्च किये हैं।

महत्त्व:

- वित्तीय समावेशन:** यह भारत में वशिष रूप से सूक्ष्म उद्यम और नमिन-आय वाले उपभोक्ता वर्ग में ऋण की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है।
- अनौपचारिक माध्यमों से उधार कम करना:** यह अनौपचारिक उधार को कम करने में मदद करता है क्योंकि यह उधार लेने की प्रक्रिया को सरल करता है।
- समय की बचत:** यह बैंक की शाखाओं में ऋण आवेदनों पर खर्च किये गए समय को कम करता है। डजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को ओवरहेड लागत में 30-50% की कटौती करने के लिये भी जाना जाता है।

चुनौतियाँ:

- अनधिकृत डजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन की बढ़ती संख्या के रूप में:**
 - वे अत्यधिक ब्याज दर और अतरिकृत छपि हुए शुल्क लेते हैं।
 - वे अस्वीकार्य और उच्च-स्तरीय पुनर्प्राप्त विधियों को अपनाते हैं।
 - वे उधारकर्त्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुँचने के लिये समझौतों का दुरुपयोग करते हैं।

इन नए दशा-नरिदेशों के अंतरगत कौन आता है?

- बैंकगि नयिमक ने स्पष्ट रूप से नरिदष्टि कयिा है क उधार देने का व्यवसाय केवल आरबीआई द्वारा वनियिमति संस्थाओं या कानून के तहत अनुपति प्रापुत संस्थाओं द्वारा ही कयिा जा सकता है।
- केंद्रीय बैंक ने डजिटल उधारदाताओं को तीन समूहों में वभिजति कयिा है:
 - वे संस्थाएँ जो भारतीय रजिस्टर बैंक द्वारा वनियिमति होती हैं और जनिहें उधार का कारोबार करने की अनुमतदिती हैं
 - संस्थाएँ अन्य वैधानक/नयिमक प्रावधानों के अनुसार उधार देने के लिये अधिकृत हैं लेकनि आरबीआई द्वारा वनियिमति नहीं हैं।
 - कसिी वैधानक/नयिमक प्रावधान के दायरे से बाहर उधार देने वाली संस्थाएँ।
- केंद्रीय बैंक का नयिमक ढाँचा वनियिमति संस्थाओं के डजिटल ऋण पारस्थितिकी तंत्र और वभिनिन अनुमेय ऋण सुवधि सेवाओं का वसित्तर करने के लिये उनके द्वारा लगाए गए ऋण सेवा प्रदाता (LSP) पर केंद्रति है।
- हालाँक अनूय श्रेणियों के ऋणदाता नए दशानरिदेशों के तहत नहीं आते हैं और कार्य समूह की सफारिशों के आधार पर डजिटल ऋण पर उचति नयिम और वनियिम तैयार करने पर वचिार कर सकते हैं।

दशा-नरिदेश क्या हैं?

- **तृतीय-पक्ष समावेशन:** केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई-वनियमिती संस्थाओं (आरई), उनके LSP और आरई के डजिटल ऋण ऐप (DLA) के लिये सभी ऋण वतारण और पुनर्भुगतान केवल उधारकर्ता के बैंक खाते के बीच नषिपादति कये जाने की आवश्यकता है।
- **शुलक:** इसमें यह भी नरिदषि्ट कयिा गया है कि डजिटल ऋण देने वाली संस्थाओं को, न कि उधारकर्ताओं को, क्रेडिट मध्यस्थता प्रकरयिा में एलएसपी को देय शुलक या शुलक का भुगतान करना चाहयि।
- **ऋण प्रकटीकरण:** आरई द्वारा उधारकर्ता को वार्षकि प्रतशित दर (APR) के रूप में डजिटल ऋण की सभी समावेशी लागत का खुलासा करना आवश्यक है।
 - आरई को सभी डजिटल ऋण उत्पादों के लिये एक मानकीकृत प्रारूप में अनुबंध के नषिपादन से पहले उधारकर्ता को एक मुख्य तथ्य वविरण (Key Fact Statement- KFS) प्रदान करना होगा।
 - कोई भी शुलक आद, जसिका KFS में उल्लेख नहीं है, ऋण की अवधि के दौरान कसिी भी स्तर पर आरई द्वारा उधारकर्ता से शुलक के रूप में नहीं लयिा जा सकता है।
- **क्रेडिट सीमा और सूचयिों का प्रकाशन:** उधारकर्ता की ऑन-रकिॉर्ड स्पष्ट सहमति के बनिा क्रेडिट सीमा में स्वचालति वृद्धि नहीं हो सकती है।
 - इन वनियमिती संस्थाओं को उनके द्वारा नयुिक्त LSP और DLA की सूची के अलावा उन गतविधियिों का वविरण भी प्रकाशति करना होगा जनि के लिये वे अपनी वेबसाइट पर लगे हुए हैं।
- **ऋण की नकिासी:** ऋण अनुबंध के भीतर एक कूलगि-ऑफ अवधि प्रदान की जाएगी, जसिके दौरान उधारकर्ता के पास बनिा कसिी दंड के मूलधन और आनुपातिक APR का भुगतान करके डजिटल ऋण से बाहर नकिलने का वकिल्प होगा।
- **शकियत नविरण तंत्र:** बैंकों को यह सुनशिचति करना होगा कि उनके और उनके द्वारा नयुिक्त एलएसपी के पास फनिटेक- या डजिटल ऋण संबंधी शकियतों से नपिटने के लिये एक उपयुक्त नोडल शकियत नविरण अधिकारी होना चाहयि।
 - यह अधिकारी अपने संबंधति डजिटल लेंडगि ऐपस (DLA) के खलिाफ शकियतों से भी नपिटेगा।
 - वर्तमान दशा-नरिदेश उधारकर्ता को आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शकियत करने की अनुमति देते हैं, यद बैंक द्वारा 30 दिनों के भीतर उनकी शकियत का समाधान नहीं कयिा जाता है।
- **डेटा संरक्षण और गोपनीयता के संबंध में:** उधारकर्ता की डेटा सुरक्षा/गोपनीयता सुनशिचति करने के लिये, फ्रेमवर्क प्रदान कयिा गया है कि DLA को उधारकर्ता की पूर्व स्पष्ट सहमति के साथ केवल आवश्यकता-आधारति डेटा एकत्र करने की अनुमति होगी।
 - इसके अलावा उधारकर्ता के पास DLA/LSP द्वारा एकत्र कये गए कसिी भी डेटा को हटाने के वकिल्प के साथ कसिी वशिषि्ट डेटा के उपयोग के लिये अपनी सहमति को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या रद्द करने का वकिल्प भी होगा।
 - आरई यह सुनशिचति करने के लिये कि उनके द्वारा नयुिक्त LSP कुछ बुनयिादी न्यूनतम डेटा (जैसे नाम, पता, ग्राहक के संपर्क वविरण आद) को छोड़कर उधारकर्ताओं की वयकतगित जानकारी संग्रहति नहीं करते हैं, जो उनके संचालन को पूरा करने के लिये आवश्यक हो सकते हैं।
- **अनविरय पहुँच:** केंद्रीय बैंक ने यह भी अनविरय कयिा है कि DLA को मोबाइल फोन संसाधनों, जैसे फाइलों और मीडयिा, संपर्क सूची, कॉल लॉग और टेलीफोनी कारयों तक पहुँच नहीं होनी चाहयि।
 - हालाँकि केवल उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति से ही ऑनबोर्डगि/केवाईसी आवश्यकताओं के लिये आवश्यक कैमरा, माइक्रोफोन, स्थान, या कसिी अन्य सुवधि तक एकमुशत पहुँच प्राप्त की जा सकती है।
- **रपिॉर्टगि की आवश्यकता:** आरई को यह सुनशिचति करना आवश्यक है कि DLA के माध्यम से कये गए कसिी भी उधार को क्रेडिट सूचना कंपनयिों (Credit Information Companies- CIC) को सूचति कयिा जाना चाहयि, चाहे इसकी प्रकृति या अवधि कुछ भी हो। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बाय नाउ पे लेटर (Buy Now Pay Later- BNPL) मॉडल के माध्यम से उधार देने की भी CIC को सूचना दी जानी चाहयि।

लोकपाल क्या है?

- एक सरकारी अधिकारी जो सार्वजनकि संगठनों के खलिाफ आम लोगों द्वारा की गई शकियतों से नपिटता है, लोकपाल कहलाता है। लोकपाल का यह कॉन्सेप्ट स्वीडन से आया है।
- इसका अर्थ है कसिी सेवा या प्रशासनकि प्राधिकरण के खलिाफ शकियतों को नविरण हेतु वधियकिा द्वारा नयुिक्त अधिकारी।
- भारत में नमिनलखिति कषेत्रों में शकियतों के समाधान के लिये एक लोकपाल की नयुिक्तिकी जाती है।
 - a. बीमा लोकपाल
 - b. आयकर लोकपाल
 - c. बैंकगि लोकपाल

एकीकृत लोकपाल योजना क्या है?

- यह आरबीआई की तीन लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करता है - वर्ष 2006 की बैंकगि लोकपाल योजना, वर्ष 2018 की एनबीएफसी के लिये लोकपाल योजना और। वर्ष 2019 की डजिटल लेनदेन की लोकपाल योजना।
- एकीकृत लोकपाल योजना ग्राहकों की संतुष्टिके लिये समाधान नहीं होने या आरबीआई द्वारा वनियमिती संस्था द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देने पर बैंकों, एनबीएफसी (गैर बैंकगि वतित्तीय कंपनयिों) और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जैसी (आरबीआई वनियमिती) संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधति ग्राहकों की शकियतों का नविरण प्रदान करेगी।
- इसमें गैर-अनुसूचति प्राथमकि सहकारी बैंक भी शामिल हैं, जनि की जमा राशि 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक है। एकीकृत योजना इसे "एक राष्ट्र एक लोकपाल" दृष्टिकिण और कषेत्राधिकार तटस्थ बनाती है।

ये दशा-नरिदेश क्यौं तैयार कयि जा रहे हैं?

- **क्रेडिट सेवाओं का वसितार:** तकनीकी नवाचार के आगमन के साथ, डजिटिल उधार पारसिथतिकी तंत्र में अत्यधिक विकास हुआ है, जसिके परिणामस्वरूप कई फनितेक फर्म क्रेडिट सेवाओं का वसितार कर रही हैं ।
- हालाँकि इस वृद्धि ने ग्राहकों को मसि-सेलगि, डजिटिल उधारदाताओं द्वारा अनैतिक व्यापार आचरण और तीसरे पक्ष की अत्यधिक व्यस्तता, और उधारकर्त्ता की डेटा गोपनीयता पर चिंताओं को जन्म दिया है ।
- **अनुचित ब्याज दरें:** उपभोक्ताओं द्वारा कई शिकायतें भी की गई हैं कि डजिटिल ऋण देने वाले ऐप अत्यधिक ब्याज दर वसूल रहे हैं या वे धोखाधड़ी कर रहे हैं ।

आगे की राह

- भारत एक डजिटिल ऋण क्रांति के कगार पर है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि इस क्रांतिका परिणाम बेहतर हो ।
- डजिटिल ऋणदाताओं को सक्रिय रूप से एक आचार संहिता विकसित करनी चाहिये जो प्रकटीकरण और शिकायत नवियारण के स्पष्ट मानकों के साथ अखंडता, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण के सिद्धांतों को रेखांकित करती और इसके प्रति प्रतिबद्ध है ।
- तकनीकी सुरक्षा उपायों को स्थापित करने के अलावा, डजिटिल उधार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये ग्राहकों को शक्ति और प्रशक्ति करना भी महत्वपूर्ण है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/perspective-rbi-digital-lending-rules>

